The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग ।। -- खण्ड ३--- उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

2821 No. 2821

नई दिल्ली, शुक्रवार, **पई** 27, 2011/ज्येष्ठ 6, 1933

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2011/JYAISTHA 6, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय


(स्वास्त्र्य और परिवार कल्याण विभाग) -

अधिस्चना

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

सा.का.नि. 417(अ).— केन्द्र सरकार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाण्ज्यि, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---

- (1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधन) नियम, 2011 है।
 - (2) ये दिनांक ! दिसम्बर, 2011 को प्रवृत्त होंगे ।
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 की अनुसूची के पैरा 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---
 - "2 विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां निम्नलिखित हैं :—
 - विभिन्न प्रकार के धूम्रपान वाले तम्बाकू पैकों के लिए :—







2. विभिन्न प्रकार के चबाए जाने वाले अथवा धुआं रहित तम्बाकू पैकेजों के लिए :-









टिप्पण : इन नियमों के साथ एक सीडी संलग्न है जिसमें तम्बाकू उत्पादों के पैकेजों के मुद्रण में शामिल करने हेतु इन स्वास्थ्य चेतावनियों की एक सॉफ्ट कॉपी है।" [फा. सं. पी. 16017/05/2010-पीएच]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 के संख्या सा.का.नि.182(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में इन्हें दिनांक 29-9-2008 के संख्या सा.का.नि. 693(अ) के तहत और दिनांक 28-11-2008 के संख्या का.आ. 2814(अ) के तहत और दिनांक 3-5-2010 के संख्या सा.का.नि. 305(अ) के तहत एवं दिनांक 5-3-2010 के संख्या सा.का.नि. 176(अ) के तहत और दिनांक 17-5-2010 के संख्या साका.नि. 411(अ) के तहत तथा दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 के संख्या साका.नि. 985(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2011

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7, sub-section (2) of Section 8, Section 10 and Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:-

- (1) These Rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2011.
 - They shall come into force on 1" December, 2011.
 - In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008.

For the paragraph 2 of the SCHEDULE of the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) भाग [[—खण्ड ३(i)] Rules, 2008, the following paragraph shall be substituted, namely:

- 2. The specified health warnings are-
 - 1. For smoking forms of tobacco packs:-






2. For chewing or smokeless forms of tobacco packages:—














Note: These rules are accompanied by a CD that contains a soft copy of these health warnings, for inclusion in [F. No. P. 16017/05/2010-PH) printing of tobacco product packages".

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published vide No. G.S.R. 182(E) dated 15th March, 2008 and subsequently amended vide No. G.S.R. 693(E) dated 29-9-2008 and vide No. S.O. 2814(E) dated 28-11-2008 and vide No. G.S.R. 305(E) dated 3-5-2009 and vide No. G.S.R. 176(E) dated 5-03-2010 and vide No. G.S.R. 411(E) dated 17-05-2010, and vide No. G.S.R. 985(E) dated 20th December, 2010.